

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हीपा

जेष्ठक,

अंचल अधिकारी  
गम्हीपा

पत्रांक 1079  
दिनांक 19/9/14

लेना में,

आप सहायता  
परायकेला-खरतली।

विषय :- वनाधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी  
जमीन के नाम से वन भूमि का पट्टा या किसी  
जमीन के नाम से प्रस्ताव नहीं होने के संबंध में।

महोदय,

अपने विषय के संबंध में बताया है कि निदेशानु  
सार संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रती अंचल  
निरीक्षक गम्हीपा के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के  
आधारे पर राजस्व ग्राम समन्वयक बडा हीहरपुर प्रताप-  
पुर एवं स्वरूपडीह के ग्राम प्रधान / वनाधिकार समिति का  
अक्षय कुमार बिरेन मंडल, राम दास दुइ धासीराजबारी  
एवं लाल मोमी से बैदे द्वारा राजस्व कर्मचारी द्वारा वनाधिकार  
के तहत लिखित मांगा गया परन्तु उनलोगों ने कहा कि  
असल वनित ग्रामों में कोई पट्टा किमि निर्गत या प्रस्ताव  
नहीं भेजा गया है परन्तु लिखित देने से इन्कार किया।

अतः जांच प्रतिवेदन अंग्रेज आवश्यक कार्यवाई हेतु  
भेजा जा रहा है।

कृपया जाति स्वीकार की जाय। विष्णुनाथ भाजरा

अंगुलमरु  
दस

19/09/14  
अंचल अधिकारी  
गम्हीपा।

ਦੇਵਰ ਸੈ:-

ਮੰ-ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਗਠਵਾਲ

ਵਿਖਰ:- ਗਠਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰੀ ਤੇ  
ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ

ਮਹਾਦੀਪ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਖਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ

ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ, ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ,  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ  
ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ

ਕਿ (ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ)

ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ

ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ

16/9/14

ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ

ਸਿਰੀ ਗਠਵਾਲੀ  
16/9/14

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हीला

प्रेषक,

अंचल अधिकारी  
गम्हीला।

पत्रांक 974

दिनांक 28/8/14

प्रेषित,

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

मौजा - (1) रामचन्द्रपुर (2) बहादुरपुर (3) बीरसालपुर  
(4) जुतापपुर (5) बुडकायां (6) गोरामपुर दुर्गा हलसी

विषय :- वन भूमि पर निर्गत पट्टा एवं अनुशांता के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहा है कि निर्देशानुसार पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित ग्राम से संबंधित वनाधिकार भूमि यदि आपके द्वारा पट्टा हेतु निर्गत एवं अनुशांता किया गया हो तो इसकी सूचना अपोस्टासरी को पत्र प्राप्त के तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निर्धारित दिनों के अंदर यदि आपके द्वारा कोई सूचना अपोस्टासरी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह समझा जाएगा कि यह भूमि ग्राम सभा द्वारा किसी लाभुक को वनाधिकार पट्टा हेतु अनुशांति अथवा अनुमोदित नहीं किया है। अन्यथा जवाबदेही आपकी होगी।

(9/28/14)

अ. अंचल अधिकारी  
गम्हीला

① वन विभाग का पट्टा फिली को नहीं बंद है।

एडिशनल - 923492766 21/8/14

② Reger kr - 9470990902 (गम्हीला)

③ Rajin Mardi - 7677892233 का. 28

अ. अ. म. जी. प्र. म.

Certified by G.M.H.  
vide his ltr. 19/09/14

प्रमाणित किया जाता है की 220 KV D/C रामचन्द्रपुर -चाइबासा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 0.6246 एकड़ वनभूमि ( जंगल ) जो इस प्रकार है :-

| क्र० स० | मौजा का नाम  | थाना स० | खतियान स० | प्लॉट स० | किस्म | रकवा (एकड़) | रैयत का नाम | अभ्युक्ति |
|---------|--------------|---------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1       | रामचन्द्रपुर | 452     | 50        | 87       | जंगल  | 0.62        | वनैतिमाज    |           |
|         |              |         | 49        | 269      | जंगल  | 0.0046      | बिहार सरकार |           |
|         |              |         |           |          | कुल   | 0.6246      |             |           |

उपरोक्त वनभूमि ( जंगल ) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।

Certified by CO G.M.H.  
Vide his ltr. dtd 19.09.14

प्रमाणित किया जाता है की 220 KV D/C रामचन्द्रपुर -चाइबासा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 2.05 एकड़ वनभूमि (जंगल) जो इस प्रकार है :-

| क्र० स० | मौजा का नाम  | थाना स० | खतियान स० | प्लॉट स०          | किस्म                | रकवा (एकड़)          | रैयत का नाम            | अभ्युक्ति |
|---------|--------------|---------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1       | वडा हरिहरपुर | 76      | 51        | 245<br>250<br>256 | जंगल<br>जंगल<br>जंगल | 1.45<br>0.06<br>0.54 | कनैबिनग<br>विद्या सराव |           |
|         |              |         |           |                   | कुल                  | 2.05                 |                        |           |

उपरोक्त वनभूमि (जंगल) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है।

Certified by G.M.H.  
Vide his ltr. dt. 19/09/14

प्रमाणित किया जाता है की 220 KV D/C रामचन्द्रपुर -चाइबासा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 2.60 एकड़ वनभूमि ( जंगल ) जो इस प्रकार है :-

| क्र० स० | मौजा का नाम | थाना स० | खतियान स० | प्लॉट स० | किस्म | रकवा (एकड़) | रैयत का नाम            | अभ्युक्ति |
|---------|-------------|---------|-----------|----------|-------|-------------|------------------------|-----------|
| 1       | वीरराजपुर   | 457     | 05        | 17       | जंगल  | 2.60        | वनविभाग<br>बिहार सरकार |           |

उपरोक्त वनभूमि ( जंगल ) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि  
उपरोक्त वनभूमि में दावा लम्बित  
नहीं है। न ही दावा हेतु आवेदन  
प्राप्त कर पत्ता हेतु भेजा गया है।

Amokrajun Mahato  
5/8/014

प्रमाणित किया जाता है की 220 KVD/C रामचन्द्रपुर -चाइबासा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 6.21 एकड़ वनभूमि (सुरक्षित जंगल) जो इस प्रकार है :-

| क्र० स० | मौजा का नाम | थाना स० | खतियान स० | प्लॉट स० | किस्म         | रकवा (एकड़) | रैयत का नाम         | अभ्युक्ति |
|---------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1       | वडागाँव     | 74      | 84        | 02       | सुरक्षित जंगल | 6.21        | वनोक्ति विहार सरकार |           |

उपरोक्त वनभूमि (सुरक्षित जंगल) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।

Sarjan Mandi

प्रमाणित किया जाता है की-  
उपरोक्त वन भूमि में दावा लम्बित  
नहीं है। नही दावा हेतु  
आवेदन प्राप्त कर पत्ता हेतु  
भेजा गया है।

Sarjan Mandi

1/10/2014

Certified by W.G.M.H.  
vide his ltr. dt. 19/09/14

प्रमाणित किया जाता है की 220 KV D/C रामचन्द्रपुर -चाइबासा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 2.06 एकड़ वनभूमि (पुरानी पट्टी) जो इस प्रकार है :-

| क्र० स० | मौजा का नाम | थाना स० | खतियान स० | प्लॉट स० | किस्म        | रकवा (एकड़) | रैयत का नाम         | अभ्युक्ति |
|---------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1       | झाँपुर      | 113     | 45        | 02       | पुरानी पट्टी | 2.06        | कौविगा, विहार सरकार |           |

उपरोक्त वनभूमि (पुरानी पट्टी) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।